रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-08052025-262974
CG-DL-E-08052025-262974

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 252]	नई दिल्ली, बुधवार, मई 7, 2025/वैशाख 17, 1947
No. 252]	NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 7, 2025/VAISAKHA 17, 1947

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 मई, 2025

सा.का.नि. 295(अ).— केन्द्रीय सरकार जैव विविधता अधिनियम, 2002 (2003 का 18) की धारा 62 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जैव विविधता नियम, 2024 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् : -

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम जैव विविधता (संशोधन) नियम, 2025 है।

(2) ये 1 नवम्बर, 2025 से प्रवृत्त होंगे ।

2. जैव विविधता नियम, 2024, (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 19 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्, -

19. उगाए गए औषधीय पौधों के लिए उत्पत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया.-

(1) जैव विविधता प्रबंधन समिति द्वारा उगाए गए औषधीय पौधों के विवरण को अन्तर्विष्ट करने वाली पुस्तिकाएं वेब पोर्टल पर प्ररूप 11 में अनुरक्षित की जाएंगी।

(2) अधिनियम की धारा 7 की उपधारा 2 के अधीन उत्पत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के लिए कोई आवेदन, फीस के साथ वेब पोर्टल पर प्ररूप 11क में जैव विविधता प्रबंधन समिति को किया जाएगा।

(3) उप-नियम (1) के अधीन अनुरक्षित पुस्तकों में की गई प्रविष्टियों के आधार पर, उत्पत्ति प्रमाण-पत्र वेब पोर्टल पर प्ररूप '12' में तैयार किया जाएगा।

3. उक्त नियमों की पहली अनुसूची में, क्रम संख्या 11 और 12 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-

"क्र.सं.	आवेदन का प्रयोजन	फीस
11	जैव विविधता प्रबंधन समिति द्वारा उगाए गए औषधीय पौधों के विवरण वाली पुस्तिकाएं वेब पोर्टल पर अनुरक्षित की जाने वाली	शून्य
11क	उगाए गए औषधीय पौधों के लिए उत्पत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु आवेदन	₹ 200
12	आवेदक को जारी किया गया उत्पत्ति प्रमाण पत्र	शून्य"

4. उक्त नियमों की दूसरी अनुसूची में, प्ररूप-11 और प्ररूप -12 के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप रखे जाएंगे, अर्थात्:-

"प्ररूप-11

[अधिनियम की धारा 7 और नियम 19(1) देखें]

जैव विविधता प्रबंधन समिति पंचायत ……………… जैव विविधता प्रबंधन समिति ……………… /शहरी स्थानीय निकाय द्वारा अनुरक्षित की जाने वाली उगाए गए औषधीय पौधों के विवरण को अर्न्तविष्ट करने वाली पुस्तक

क्र. सं.	उगाए गए औषधीय पौधों का नाम	उगाए गए औषधीय पौधों का विवरण जिसमें उनके सामान्य और वानस्पतिक नाम, खेती की अवधि शामिल है।	एक वित्तीय वर्ष में वार्षिक रूप से उत्पादित अनुमानित मात्रा (किलोग्राम/क्विंटल/टन आदि में)
(1)	(2)	(3)	(4)

"प्ररूप-11 क

[अधिनियम की धारा 7 और नियम 19 (2) देखें]

उगाए गए औषधीय पौधों के लिए उत्पत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु आवेदन

क्रम सं.	विशिष्टयां	विवरण
(1)	आवेदक का नाम:	
(2)	फोन नंबर: ई-मेल:	
(3)	पता: जिला: राज्य:	
(4)	उस राज्य का चयन करें, जिसमें एसबीबी अवस्थित है	
(5)	उस जिले का चयन करें, जिसमें बीएमसी अवस्थित है	
(6)	जैव विविधता प्रबंधन समिति का नाम	……………… (गांव या शहर (संघ राज्य क्षेत्र/राज्य/जिला)
(7)	उगाए गए औषधीय पौधे तक पहुंच के लिए अनुरोध	

क्र. सं.	उगाए गए औषधीय पौधों का नाम	मात्रा (किलोग्राम/क्विंटल/टन आदि में)

	1		
	2		
	3		
	4		

मैं/हम यह घोषणा करते हैं और सत्यनिष्ठापूर्वक करते हैं कि ऊपर दी गई सूचना मेरे सर्वोत्तम ज्ञान के अनुसार सत्य और सही है।

स्थान .... हस्ताक्षर..........
दिनांक................. ....नाम

प्ररूप–12

[नियम 19(3) देखें]

उत्पत्ति प्रमाण पत्र

(विशिष्ट आईडी/क्यूआर कोड : डिजिटल रूप से नियत जाना)

यह प्रमाणित किया जाता है कि सारणी के स्तंभ संख्या 2 में यथा उल्लिखित औषधीय पौध/पौधे ....जैव विविधता प्रबंधन समिति के अधिकार क्षेत्र में उगाए जाते हैं। यह और प्रमाणित किया जाता है कि औषधीय पौधों की खेती से संबंधित अभिलेख को जैव विविधता प्रबंधन समिति द्वारा प्ररूप-11 अनुरक्षित किया गया है। यह प्रमाण पत्र श्री/श्रीमती/सुश्री ....निवासी..... ....को सारणी के स्तंभ संख्या 3 में उल्लिखित मात्रा के लिए जारी किया जा रहा है।

क्र. सं.	**उगाए जाने वाले औषधीय पौधे का नाम**	उगाए गए औषधीय पौधों की मात्रा जिसके लिए प्रमाण पत्र जारी किया गया है (किलोग्राम/क्विंटल/टन आदि में)
(1)	(2)	(3)

जैव विविधता प्रबंधन समिति के प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर

नाम : ....

तारीख : ....

[फा. सं. सीएस-सी12018/3/2020-सीएस-III]

रघु कुमार कोडाली, वैज्ञानिक 'जी'

टिप्पणी :- मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. 665(अ) तारीख 22 अक्तूबर, 2024 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th May, 2025

G.S.R. 295(E).—In exercise of the powers conferred by section 62 of the Biological Diversity Act, 2002 (18 of 2003), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Biological Diversity Rules, 2024, namely **: –**

(1) These rules may be called the Biological Diversity (Amendment) Rules, 2025.

(2) They shall come into force from the 1st day of November, 2025.

2. For Rule 19 of the Biological Diversity Rules, 2024, (hereinafter referred to as the said rules), the following rule shall be substituted, namely, **–**

19. Procedure for obtaining a certificate of origin for cultivated medicinal plants. –

(1) Books containing the details of cultivated medicinal plants shall be maintained by the Biodiversity Management Committee in Form 11 in the web portal.

(2) An application for obtaining certificate of origin under sub-section 2 of section 7 of the Act shall be made to the Biodiversity Management Committee along with the fee in Form 11A on web portal.

(3) On the basis of the entries made in the books maintained under sub-rule (1), the certificate of origin shall be generated in the web portal in the Form '12'.

3. In the First Schedule of the said rules, for serial number 11 and 12 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely**: –**

"Sl.No.	**Purpose of the Application**	**Fee**
11	Books containing details of cultivated medicinal plants, to be maintained by the Biodiversity Management Committee in web portal	Nil
11A	Application for obtaining certificate of origin for cultivated medicinal plants	₹ 200
12	Certificate of origin issued to the applicant	Nil"

4. In the Second Schedule of the said rules, for the Form-11 and Form-12, the following Forms shall be substituted, namely**: –**

"FORM-11

[See section 7 of the Act and rule 19(1)]

Book containing details of cultivated medicinal plants, to be maintained by the Biodiversity Management Committee……………………..Biodiversity Management Committee………………..Panchayat /Urban Local Body

Sl. No.	**Name of the cultivated medicinal plants**	**Details of the cultivated medicinal plants including common and botanical names, period of cultivation.**	**Approx. Quantity produced annually in a financial year (in kg/ quintal/ tonne etc.)**
(1)	(2)	(3)	(4)

FORM-11A

[See section 7 of the Act and rule 19(2)]

Application for obtaining certificate of origin for cultivated medicinal plants

Sl.No.	**Particulars**	**Details**
(1)	**Name of the applicant:**	
(2)	**Phone No.:** **e-mail:**	
(3)	**Address:** **District:** **State:**	

(4)	**Select State in which SBB is located**	
(5)	**Select District in which BMC is located**	
(6)	**Name of the Biodiversity Management Committee**	……………… (Village or Town / District / State / Union Territory)
(7)	**Request for accessing the cultivated medicinal plant**	

Sl. No.	**Name of the cultivated medicinal plants**	**Quantity (in kg./quintal/tonne etc.)**
1		
2		
3		
4		

I/we hereby declare and solemnly affirm that the information provided above is true and correct to the best of my knowledge.

Place…………….. Signature……….

Date……………… Name……………

FORM–12

[see rule 19(3)]

Certificate of Origin

(Unique ID/QR Code: to be digitally assigned)

It is certified that the medicinal plant(s) as mentioned in column No. 2 of the table is/ are cultivated in the jurisdiction of the ………………………….. Biodiversity Management Committee. It is further certified that the record regarding cultivation of medicinal plant has been maintained by the Biodiversity Management Committee in Form-11. This certificate is being issued to Shri/Smt./Ms. …………………. resident of…………………..for the quantity mentioned at column No. 3 of the table.

Sl. No.	**Name of the cultivated medicinal plant(s)**	**Quantity of cultivated medicinal plants for which the certificate is issued. (in kg./quintal/tonne, etc.)**
(1)	(2)	(3)

Signature of the Authorised person of the Biodiversity Management Committee

Name:………………

Date:……………….."

[F. No. CS-C12018/3/2020-CS-III]

RAGHU KUMAR KODALI, Scientist 'G'

Note. – The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* G.S.R. 665(E), dated the 22nd October, 2024.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
GORAKHA NATH YADAVA Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA Date: 2025.05.08 15:27:50 +05'30'